न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **2018/04** दायर दिनांक **09.01.2018**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. उगमाराम पुत्र बालुराम, जाति जाट, निवासी धनकोली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान 1/1. हीराचन्द पुत्र उगमाराम, 1/2. भंवरलाल पुत्र उगमाराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान धनकोली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. देवाराम पुत्र गोमाराम, 2. सुरज्ञान पुत्र रामपाल, 3. देवाराम पुत्र गोविन्दराम, 4. हीराराम पुत्र गोविन्दराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान धनकोली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान 5. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत् बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित–

1. श्री हीरसिंह बलारा, रणजीत बलारा अधिवक्ता, वादीगण की और से।

–:: अन्तिम निर्णय ::– दिनांक 23.03.2018

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 125 रकबा 61.18 बीघा वाके धनकोली है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है। वादी का क्रय सुदा व खातेदारी का हिंस्सा उक्त खेत खसरा संख्या 125 रकबा 61.18 बीघा में से 121/1238 अर्थात 6.05 बीघा है जो खेत वादी ने प्रतिवादी सुरज्ञान से जरिये रजिस्ट्री क्रय की थी तथा मौके पर कब्जा संभाल लिया था तथा वादीके खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत 6.05 बीघा के चारो और पटटियां रोपकर तारबन्दी की हुई है, जिस पर वादी काबिज है। तथा पक्षकारान ने वर्षो पूर्व ही उक्त खेत का मौखिक बंटवारा कर लिया, जिसके अनुसार वादी उक्त खेत में से 121/1238 हिंस्सा पर काबिज है तथा अबाध रूप से काश्त करते आ रहे है। वादी ने अपनी खातेदारी, कब्जा सुद व बंट की उक्त भूमि को अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है जो वाद का भाग है नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है। वादी को सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्यो में भारी असुविधा होने के कारण उक्त भूमि का कानूनी रूप से बंटवारा करवाने का कानूनन अधिकारी है अतः वादी को दावा बाबत बंटवारा का करना लाजमी आया है। वादी की खातेदारी, कब्जा काश्त व बंट की उक्त भूमि में प्रतिवादीगण ने दखल कर दिया तो वादी को अजहद नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से संभव नही होगी, वादी, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का जायज अहकदार है। अतः वादी को दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये समन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 बावजूद तामिलनी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

मौखिक साक्ष्य में वादी का आदेश 18 नियम 04 सी0 पी0 सी0 का शपथ पत्र पेश हुआ, दस्तावेजी साक्ष्य में नजरी नक्शा प्रदर्श –1 है, खतौनी की नकल प्रदर्श –2 है, बेचाण दिनॉक 31.01.2008 प्रदर्श – 03 है, बेचाण दिनॉक 15.03.2010 है। इस दौरान वादी उगमाराम की मृत्यु हो गयी, जिसके कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये गये।

अधिवक्ता वादीगण की सारगर्भीत बहस सुनी, अधिवक्ता वादीगण ने वाद के साथ पेश नजरी नक्शा के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया।

<u>आदेश</u>

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद धनकोली में स्थित खेत खसरा संख्या 125 रकबा 61.18 बीघा का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" से विभाजन कर आदेश दिया जाता है कि खेत खसरा संख्या 125 रकबा 61.18 बीघा में से 121/1238 हिस्सा अर्थात 6.05 बीघा पूर्वी– दक्षिणी अर्थात नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ हिस्से का वादी हीराचन्द पुत्र उगमाराम व भंवरलाल पुत्र उगमाराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 23.03.2018 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकददमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **2018/04** | दायर दिनांक **03.01.2018**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. उगमाराम पुत्र बालुराम, जाति जाट, निवासी धनकोली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान 1/1. हीराचन्द पुत्र उगमाराम, 1/2. भंवरलाल पुत्र उगमाराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान धनकोली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. देवाराम पुत्र गोमाराम, 2. सुरज्ञान पुत्र रामपाल, 3. देवाराम पुत्र गोविन्दराम, 4. हीराराम पुत्र गोविन्दराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान धनकोली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान 5. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत् बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

दिनांक :– **23.03..2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिह बलारा, रणजीत बलारा, अधिवक्ता, वादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा धनकोली पटवार क्षैत्र धनकोली भू– निरीक्षक क्षैत्र धनकोली, तहसील डीडवाना जिला नागौर में हस्ब दावा अन्तिम डिक्री सादिर कर वाके सरहद धनकोली में स्थित खेत खसरा संख्या 125 रकबा 61.18 बीघा में से 121/1238 हिंस्सा अर्थात 6.05 बीघा पूर्वी– दक्षिणी अर्थात नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ हिंस्से का वादी हीराचन्द पुत्र उगमाराम व भंवरलाल पुत्र उगमाराम को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........–...........मुबलिंग............मुबलिंग...........–..............बाबत.............–.............
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–............ आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.03.2018 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (डीडवाना)

Scanned by CamScanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner